O/C

For Affiliation

Permission for Cl-IX

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, अजमेर

आदेश

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा ,राजस्थान – बीकानेर के आदेश कमाकः शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21313/2007–08/वो–I दिनांक 9–6–08 एव संशोधन आदेश कमाकः शिविरा/माध्य/मा/अ–4/21313/वो–2/08–09 दिनांक 10–7–08 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पालना में गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सत्र 2008–09 से माध्यमिक स्तर पर कमौन्नत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है ।:–

01–राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव नियम 1993 की पालना करनी होगी,

02–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान–अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एव बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा,

03–सत्र 2008–09 में कक्षा–9 एव सत्र 2009–10 कक्षा–10 प्रारम्भ करनी होगी,

04–राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय नहीं होगा,

05–विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,

06–राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों का पालना करना होगा एव वांछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें,

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिशित करें:–

01–नियमानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश वांछिनीय है,

02–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो सस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा,

03–संस्था को प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा,

04–संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा

05–आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा ।

06–विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कभी भी कर सकता है यदि उस समय आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/कमौन्नति निरस्त कर दी जायेगी,

कसं	नाम विद्यालय	माध्यम
01–	क्वीन मैरिज स्कूल, रामनगर, अजमेर	अग्रेंजी

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर

कमाक:जिशिअ/माध्य–प्रथम/अज/सामा–1/फा–17/2008/1159 दि 4/7/08

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु । –

01–उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6)विभाग, राजस्थान–सरकार,जयपुर,

02–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0बीकानेर,

03–सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान–अजमेर

04–उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

05–संबंधित संस्था प्रधान 06–निर्देशन पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर